

अपस्थित। अध्यायी वकील जवाब आपदा डेना
चाहते हैं पत्रावली वास्ते जवाब आपदा
दिनांक 10-2-2021 का पेश हो।
७३

10/2/2021 पत्रावली मात्र पेश। अध्यायी वकील अपस्थित। अध्यायी
से 6 व 7 की भोट से कोई अपस्थित नहीं।
शावाज खिलाई गई। कोई अपस्थित नहीं होने
से जज के फिस्ट सम्पन्न कार्यवाही की जाती है।
पत्रावली वास्ते जवाब अध्यायी आपदा दिनांक
21/3/2021 का पेश हो।

७३

21/3/2021 पत्रावली पेश। वकालत फरीकेन अपस्थित।
शापीगण बकीत द्वारा निवेदन किया कि विवाहित
आराजी मैजा धुनिया तहसील रानीवाडा के
खारा सेव्या 96 खसरा नम्बर 82, 83
86, 89 रकबा 0.85, 0.43, 0.11, 0.12 हेक्टेयर
जूमले रकबा 1.51 हेक्टेयर से मूल वाद के
अंतिम निस्तारण तक अध्यायीगण सेव्या 1 से 5
को जसिये अस्थायी निवेदना पाठेफ किया जावे कि
उक्त विवाहित आराजी व खसरा नम्बर 191, 234/493
346, 347, 351, 352, 353, 370, 371 रकबा
रूमरा 2.13, 0.02, 2.04, 0.08, 0.03, 0.96, 0.76
0.01, 2.15 हेक्टेयर जूमले रकबा 8.18 हेक्टेयर
में अध्यायीगण के बंर व हिस्से की आराजी पर न
उपभोग उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल है
तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल करावे
तथा न ही कोई केचान करे अपस्थित
सेव्या 1 से 5 मौके व देबे की पचासिबत
रखे। जिस अध्यायी वकील को सूना

Handwritten signature

७३
अध्ययक कलेक्टर रानीवाडा

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>नरपुस्तान व/5 रिडालदान हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।</p>
--------------------	--	---

गया। अधीन वकील द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं करते हुए उक्त विवाहित भाराजी पर मौजा व रेकॉर्ड की सहाय्यता बनाए रखने का निवेदन किया व ओरिजिनल पर अपने हस्ताक्षर किए।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीन व अधीन वकील को सूना गया। सतत पुनरावलोकन के संबंध में मूल वाद में दोनों पक्षकार के वादों का समाधान चाहते हैं व वद विचारणीय है। ऐसी स्थिति विवाहित भाराजी के रेकॉर्ड व मौजे की स्थिति में परिवर्तन होता है। दोनों पक्ष प्रभावित होंगे।

अतः मौजा धुमिया तहसील रानीवाड़ा के खाता सेन्ना 96 में जमरा नम्बर 82, 83, 86, 89 रकबा कुमरा 0.85, 0.43, 0.11, 0.12 हेक्टेयर व खाता सेन्ना 5 में जमरा नम्बर 191, 254/93, 346, 347, 351, 352, 353, 370, 371 रकबा कुमरा 2-13, 0.02, 2.04, 0.08, 0.03, 0.96, 0.76, 0.01, 2.15 कुमारे रकबा 8.18 हेक्टेयर की भाराजी में लॉकसला सहाय्य निवेदन इस आशय की जारी कि जारी है कि उक्त पक्षकार उक्त विवाहित भाराजी की मौजे व रेकॉर्ड की स्थिति को सचावत बनाए रखेंगे। निर्णय की पालना हेतु एक अति तहसीलदार रानीवाड़ा को भेजी जावे। पक्षकारों अपना-अपना खर्च वहन करें। पत्रावली फेसल शर्त होकर नम्बर से कम है।

4/20